कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा / माध्य / संस्था / एफ–1ए / सैटअप परिवर्तन / 16–17 दिनांक:– 18-2-2019

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक / प्रारम्भिक

विषय:– 6डी से सम्बन्धित अभ्यावेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:– एस.बी.सिविल मीस एप्लीकेशन 55 / 2019, याचिका संख्या 24957 / 2018 संतोष पोसवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11 / 02 / 19 एवं 20922 / 2018 छितरमल बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 10 / 01 / 19 के कम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने 6डी समायोजन प्रकिया के सम्बन्ध में याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का सक्षम स्तर से निस्तारण दो सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये है । उक्त सम्बन्ध में अभ्यावेदन निस्तारण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:–

क.सं	पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जिला	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित जिला	सदस्य सचिव
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जिला	सदस्य

उक्त सम्बन्ध में आप को निर्देशित किया जाता है कि 6डी की कार्यवाही के सम्बन्ध में वरिष्ठता, गलत विषय / श्रेणी में पदस्थापन, पदस्थापन स्थान अथवा अन्य युक्तियुक्त कारण से समायोजित कार्मिकों की परिवेदना बाबत प्राप्त अभ्यावेदनों को नियमानुसार एवं समय–समय पर शासन के प्रदत्त दिशा निर्देशों के तहत परीक्षण कर अभ्यावेदन निस्तारण की कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विधि, जयपुर / जोधपुर को सूचित किया जाना सुनिश्चित करावें । अभ्यावेदन निस्तारण आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे ।

(ओम कसेरा)
आई.ए.एस
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, को निर्देशित किया जाता है कि कमेटी द्वारा निस्तारित अभ्यावेदनों के निस्तारण प्रकिया की पर्यवेक्षण (मोनेटरिंग) करेंगे।
5. समस्त सम्बन्धित याचिकार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होने पूर्व में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है वे पूर्ण विवरण सहित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।